कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रूद्रप्रयाग
Office of the Executive Engineer Prov. Div. P.W.D Rudraprayag
Phone & Fax No:- 01364-233204 E-Mail:- eepwd_rpg@rediffmail.com

पत्रांक 1784 / 16 दिनांक 15 /6/ 2017

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण
इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सारी से बिजराकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु FP/UK/ROAD/9873/2015

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में आन लाईन पार्ट–1 के B-2.3 में सारी ककोड़ाखाल के स्थान पर बिजराकोट अंकित कर दिया गया है। वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रमाण पत्र को भी पुनरीक्षित कर बिजराकोट के नाम से बना दिया गया है। VLC meeting की सूचना पूर्व में ही वनभूमि पत्रावली को आन लाइन अपलोड करते समय अपलोड कर दी गयी थी, पुनः सलंग्न के रूप में प्रेषित है।

सलंग्न :– संशोधित एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र(कार्यवाही सहित)।
(मूल में)

15/6/17
(इं0 मूलचन्द गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

प्रतिलिपि

1. जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Rudraprayag

No--- 26

Dated-07/04/17

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **2.610 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Provincial Division P.W.D. Rudraprayag** (name of user agency) for **Construction of Sari-Vijrakot Motor Road under State Sector** (purpose for diversion of forest land) in **Rudraprayag** district falls within jurisdiction of **Vijrakot** village (s) in **Rudraprayag** tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire… hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure …to …annexure….

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

ANNEXURE….

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT Rudraprayag (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Rudraprayag** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Rajana I.A.S** deputy commissioner **Rudraprayag** on date 07/04/17 at time 2:00 P.M. at **Rudraprayag** in which application claiming rights in **Forest** area measuring **2.610 hect** for the Construction of **Sari-Vijrakot Motor Road (3.00 Km)** of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of **S.D.M.** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place : Rudraprayag
Dated: 07/04/17

जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committe

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सारी–विजराकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.000 किमी0)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, :– रूद्रप्रयाग

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, अगस्त्यमुनि।

उपखण्ड अगस्त्यमुनि परिक्षेत्र के अन्तर्गत **जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सारी–विजराकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.000 किमी0)** (2.6100 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.0000 है0 सिविल सोयम भूमि, 1.4625 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात **कुल 2.6100 है0** वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन्न अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, **(तहसील रूद्रप्रयाग)** की दिनांक 23-12-2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री चतर सिंह चौहान, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री चतर सिंह चौहान उपजिलाधिकारी रूद्रप्रयाग अध्यक्ष
2– श्री अजय शर्मा उप प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग, सदस्य
3– श्री हर्षवर्धन भट्ट सहायक समाज कल्याण अधिकारी, रूद्रप्रयाग, सदस्य/सचिव
4– श्री विकी देव बी0डी0सी0 क्षेत्र विजराकोट सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सारी–विजराकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.000 किमी0)**परियोजना हेतु, **2.610 है0** वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अगस्त्यमुनि परिक्षेत्र के अन्तर्गत **जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सारी–विजराकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.000 किमी0)** परियोजना के निर्माण हेतु **2.610 है0** वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– रुद्रप्रयाग
जनपद रुद्रप्रयाग

Photo copy Attested

Assistant Engineer
Prov. Division PWD
Rudraprayag

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सारी–विजराकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.000 किमी0)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम :– ...बिजराकोट...........
तहसील रूद्रप्रयाग, जिला रूद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद–रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत **जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सारी–विजराकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.000 किमी0)** परियोजना के निर्माण हेतु (2.610 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.0000 हे0 सिविल सोयम भूमि, 1.4625 हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात **कुल 2.6100 हे0** वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बिजराकोट द्वारा दिनांक 9/12/018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बिजराकोट – के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र ह0 / सारी
वि0ख0 अगस्त्यमुनि
जनपद - रूद्रप्रयाग

प्रधान ग्राम पंचायत बिजराकोट
ह0
वि0ख0 अगस्त्यमुनी, रूद्रप्रयाग
ग्राम प्रधान

नोट :–यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
Prov. Division PWD
Rudraprayag

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सारी–विजराकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.000 किमी0)

दिनांक 9/11/018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत विजराकोट

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	जसवीर सिंह स्व0 नारायण सिंह	[illegible]
2-	उर्मिला देवी w/o [illegible] सिंह	[illegible]
3-	भजन सिंह [illegible] भगत सिंह	उर्मिला देवी
4-	सावित्री देवी w/o सुरेन्द्र सिंह	कुन्ती देवी
5	पृथ्वी सिंह s/o आनन्द सिंह	[illegible]
6-	कविता देवी w/o लक्ष्मण सिंह	कविता देवी
7	रामेश्वरी देवी w/o कुंवर सिंह	रामेश्वरी देवी
8	जीतपाल सिंह s/o [illegible] सिंह	[illegible]
9	देवेन्द्र सिंह [illegible] नत्था सिंह	[illegible]
10	कुंवर सिंह [illegible] सिंह	देवेन्द्र सिंह
11	दिलवर सिंह [illegible] सिंह	[illegible]
12	भरत सिंह s/o अवतार सिंह	दिलवर सिंह
13	मोहन सिंह s/o कमल सिंह	[illegible]
14	बुलबल सिंह s/o वीर सिंह	[illegible]
15	सुरेन्द्र लाल s/o [illegible] लाल	[illegible]
16	जयपाल सिंह [illegible] सिंह	[illegible]
17	नन्दा सिंह [illegible] सिंह	[illegible]
18	गोपाल सिंह [illegible] सिंह	[illegible]
19	जगपाल सिंह [illegible] सिंह	[illegible]
20	मातवर सिंह पंवार [illegible] भवान सिंह	[illegible]
21	बलवन्त सिंह [illegible] सिंह	[illegible]
22	मातवर सिंह [illegible] सिंह	[illegible]

संलग्न है।

ह0 [illegible]
दि0 9/11/018
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत विजराकोट, अगस्त्यमुनी, रुद्रप्रयाग

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
Prov. Division PWD
Rudraprayag